

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 08/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 17/2017- Central Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the *Explanation*, for item (c), the following shall be substituted, namely,-
“ “specified premises” has the same meaning as assigned to it in clause (xxxvi) of paragraph 4 of notification number 11/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017.”.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification number 17/2017 -Central Tax (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification number 16/2023-Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 771(E), dated 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 08/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 48(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 689(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“ “विशिष्ट परिसर” का वही अर्थ है जो अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के पैराग्राफ 4 के खंड (xxxvi) में दिया गया है।”
2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), को सा.का.नि. संख्या 689(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2023- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. संख्या 772(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।